सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 120 / 2016

1. दौलत पुत्र विजयसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम दौराला तह0 नगर

——वादी

बनाम

1. पल्टू | पिस0 जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम तेस्की तह0 नगर (भरतपुर)
2. लेखराज |

——प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. श्री मेघसिंह भगौर, अधिवक्ता वादी
2. हुकमसिंह, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक 21 / 12 / 2017

वादी ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि आ0ख0नं0 263 / 0.66, 266 / 2.21 ग्राम दौराला में स्थित है । हाल ख0नं0 263 / 0.66 साविक ख0नं0 231 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा से तथा हाल ख0नं0 266 / 2.21 साविक ख0नं0 230 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा से दौराने सैटिलमेण्ट बनाया गया है । साविक ख0नं0 231 वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जिसका रकबा साविक के मुकाबले 0.91 है0 होना चाहिए जिसमें सैटिलमेण्ट कार्मिकों की गलती से 0.25 हैक्टे0 रकबा कम दर्ज किया है तथा साबिक ख0नं0 230 प्रतिवादी0 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी जिसका रकबा साबिक के अनुसार 1.91 हैक्टे0 होना चाहिए जो साविक रकबा के मुकाबले अधिक दर्ज किया है इससे वादी की खातेदारी का 0.25 हैक्टे0 शामिल कर दिया है जबकि सैटिलमेन्ट कर्मचारियों को ऐसा करने का अधिकार नही है । उक्त गलत इन्द्राज से वादी को सख्त हक तलफी है विदि वजह वादी ख0नं0 263 का रकबा 0.66 हैक्टे0 के स्थान पर 0.91 है0 वादी के ख0नं0 266 / 2.21 में से कम करा कर दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर हाल ख0नं0 266 / 2.21 में से 0.25 हैक्टे0 रकबा लिया जाकर वादी के ख0नं0 263 / 0.66 में शामिल कर रकवा 0.91 हैक्टे0 घोषित किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तत किया है कि वादी का रकबा बतरफ पूर्व प्रतिवादीगण की आराजी में दर्ज नही किया है बल्कि वादी का रकवा उनके तरफ पश्चिम हाल ख0नं0 248 एवं 250 में महिपाल व बदनसिंह की आराजीयात में मुताबिक साबिक रिकार्ड बढा हुआ है जिनको पक्षकार नही बनाया गया है जिससे दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज योग्य है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दिनांक 02.05.2017 को निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादी साविक खसरा नम्बर 231 रकवा 5 बीघा 13 विस्वा स्थित ग्राम दौराला तह0 नगर के मुताबिक हाल ख0नं0 263/0.66 हैक्टे0 के रकबे को हाल ख0नं0 266/2.21 है0 स्थित दौराला से 0.25 है0 कम करा कर 0.91 है0 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
2. आया प्रति0 साविक ख0नं0 230 रकवा 11 बीघा 118 विस्वा स्थित दौराला तह0 नगर के मुताविक हाल ख0नं0 266/2.61 हैक्टे0 के स्थान पर 1.96 हैक्टे0 पर खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं ? —— जिम्मे वादी
3. आया वादी को हाल ख0नं0 247/0.58, 248/0.49 स्थित दौराला से 0.07 हैक्टे0 तथा ख0नं0 249, 250 से 0.19 स्थित दौराला से कम करा कर अपने रकवे की पूर्ति कराने का अधिकार है ? —— जिम्मे प्रति0
4. आया वादी ने ख0नं0 हाल 247/0.58, 248/0.49 के वर्तमान खातेदार महीपाल पुत्र बुद्धा कौम मीणा साकिन बनी तह0 कुम्हेर एवं ख0नं0 249/0.03, 250/0.69 हैक्टे0 दौराला के वर्तमान खातेदार वदनसिंह पुत्र परभाती कौम अहीर निवासी दौराला तह0 नगर को पक्षकार नही बनाया गया है । वाद–वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है ? —— जिम्मे प्रति0
5. आया प्रति0 के ख0नं0 266/2.21 हैक्टे0 स्थित दौराला में राजकीय नहर का रकबा दर्ज कर दिया है ? —— जिम्मे प्रति0
6. आया वादी मौके पर ख0नं0 266/2.21 है0 स्थित दौराला के 1.92 हैक्टे0 रकवे पर ही काबिज काश्त हैं ? —— जिम्मे प्रति0

7. दादरसी ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2071–74 खाता संख्या 57 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2071–74 खाता संख्या 47 प्रदर्श–2, नकल हाल नक्शा प्रदर्श–3, नकल साविक नम्बरान प्रदर्श–4, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–5, नकल मिसल बंदोवस्त क्र0सं0 25 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सं0 2025 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संम्वत् 2025 खाता संख्या 38 प्रदर्श–8 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी दौलत पीडब्ल्यू–1, गवाह मुखराम पीडब्ल्यू–2 एवं विश्वेन्द्र पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो क्रमशः 30.08.17 एवं 21.12.17 को प्रमाणित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकों की वहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम दौराला के खाता संख्या 47 पर आ0ख0नं0 263/0.66 की बावत् – ''दौलत पुत्र विजयसिंह कौम अहीर साकिन देह खातेदार'' दर्ज होना पाया जाता है तथा खाता संख्या 57 में ख0नं0 101/0.51, 266/2.21 की बावत् –''पल्टू, लेखराज पि0 बंशी कौम अहीर सा0देह खातेदार'' होना पाया जाता है तथा इं0नं0 526 विभाजन से ख0नं0 266/1.15 पर पल्टू को तथा ख0नं0 233/266/1.06 पर लेखराज को पृथक–2 खातेदार का नोट अंकित है । इससे ख0नं0 263 वादी की खातेदारी में तथा ख0नं0 266 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज होना साबित है । नकल खसरा पत्रक के अनुसार हाल ख0नं0 63/0.66 साविक ख0नं0 231 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा से तथा हाल ख0नं0 266/2.21 साविक ख0नं0 230 रकवा 11 बीघा 18 विस्वा से मिलकर बनाया जाना साबित होता है । मुताबिक मीट्रिक प्रणाली वादी के साबिक ख0नं0 231 रकबा 5 बीघा 13 विस्वा से नवीन रकबा 90.4 हैक्टे0 बनता है जबकि नवीन नम्बर ख0नं0 263 का रकबा 0.66 हैक्टे0 अंकित किया है जो साविक के मुकाबले 24.6 हैक्टे0 रकबा कम होता है । इसी प्रकार प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 230 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा से मीट्रिक प्रणाली अनुसार नवीन रकबा 190.4 हैक्टे0 बनता है जबकि इसका नवीन खसरा नम्बर 266 का रकबा 2.21 हैक्टे0 अंकित किया है जो साबिक रकबा के मुकाबले 30.6 हैक्टे0 अधिक होता है । दोनो पक्षों ने दिनांक 21.12.17 को राजीनामा प्रस्तुत कर यह तथ्य स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी के ख0नं0 266/2.21 का रकबा 0.25 हैक्टे0 कम करते हुए क्रमशः 266/1.15 प्रति0 पल्टू के हिस्से में से 0.13 हैक्टे0 तथा ख0नं0 333/266/1.06 प्रति0

लेखराज के हिस्से में 0.12 हैक्टे0 रकबा कम करते हुए वादी दौलत की खातेदारी के ख0नं0 263/0.66 के स्थान पर 263/0.91 घोषित करने की सहमति दी है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचनानुसार दावा वादी राजीनामा दिनांक 21.12.17 के अनुसार डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है । ग्राम दौराला तह0 नगर की आ0ख0नं0 266/1.15 के स्थान पर 266/1.02 पर प्रतिवादी पल्टू को ख0नं0 333/266/1.06 के स्थान पर 333/0.94 पर प्रतिवादी लेखराज को तथा ख0नं0 263/0.66 के स्थान पर 263/0.91 पर वादी दौलत को पृथक–पृथक खातेदार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप लगान कायम किया जावे । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 21/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर